प्रा सं०–281

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 24 अक्टूबर, 2013

कार्तिक 2, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 793/79-वि-1–13-2(क)9-2013

लखनऊ, 24 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2013) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2013)

[भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द 'प्राध्यापक' और 'उपाचार्य', जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द 'सहायक आचार्य' और शब्द 'सहयुक्त आचार्य' क्रमशः रख दिए जाएंगे।

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) का लोप कर दिया जायेगा।

4--मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (4) का लोप कर दिया जायेगा।

5--मूल अधिनियम की धारा 14 में;--

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:--

"(2) प्रति-कुलपति, जो आचार्य से निम्न स्तर का न हो, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक आचार्य हो सकेगा और उसकी नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा की जायेगी।"

(ख) उपधारा (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :--

"(4) प्रति-कुलपति ऐसी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा जो कुलपति के पद का सह विस्तारी होगी। तथापि यह कुलपति का परमाधिकार होगा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपरिषद को किसी नये प्रति कुलपति की संस्तुति करे।

(5) प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय।"

6--मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (1) में, खण्ड (घ) में, शब्द "कुमाऊँ और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

7--मूल अधिनियम की धारा 31 में--

(क) उपधारा (4) में,

(एक) खण्ड (क) में,--

(क)--उपखण्ड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:--

"(i-क) संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ कहीं लागू हो।"

(ख)--उपखण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(iii-क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित श्रेणी का न हो।"

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय, जिसमें स्ववित्तपोषित निजी महाविद्यालय सम्मिलित है (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न), के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:--

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रबन्ध समिति के दो सदस्य, जिनमें से एक शैक्षिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा;

(iii) कुलपति का एक नाम निर्देशिती, जो उच्च शिक्षा का एक विशेषज्ञ होगा;

(iv) तीन विशेषज्ञ, जिसमें महाविद्यालय का प्राचार्य, एक आचार्य और एक निष्णात शिक्षाविद्, जो आचार्य के रैंक के नीचे का न हो, कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबंध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे; और

(v) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद्, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित श्रेणी का न हो।"

(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (दो) और (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य;

(तीन) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष;

(चार) कुलपति के दो नामनिर्देशिती जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए;

(पाँच) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञ की सूची से कुलपति द्वारा पाँच सदस्यों के पैनल में से संस्तुत प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों;"

(चार) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति उसी प्रकार से होगी जैसे क्रमशः आचार्य, सहयुक्त आचार्य और सहायक आचार्य के लिए होगी, सिवाय यह कि यथास्थिति, पुस्तकालय में संबंधित विशेषज्ञ या कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एक विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति से सहयुक्त होगा।"

(ञ) उपधारा (7-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(7-ख) चयन समिति की सभी चयन प्रक्रियायें चयन समिति की बैठक के दिन ही पूर्ण कर ली जायेंगी, जिसमें चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अंक देने के प्रपत्र और चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची सहित श्रेष्ठता के आधार पर की गयी संस्तुतियाँ/श्रेष्ठता के आधार पर नामों के पैनल के साथ कार्यवृत्त अभिलिखित किया गया हो।"

(ट) उपधारा (10) में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "भारत" रख दिया जायेगा।

धारा 35 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) ऐसे महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व, कुलपति को रिपोर्ट किया जायेगा और यह तब तक प्रभावी न होगा, जब तक कुलपति द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय :

परन्तु यह कि, भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में किसी ऐसे महाविद्यालय की प्रबंध समिति को किसी अध्यापक को पदच्युत करने, पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किये गये विनिश्चय के लिए कुलपति द्वारा यह देखा जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा दंडादेश पारित करने के पूर्व इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियम में दिये गये प्रावधानों या प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं। कुलपति उसे या तो अनुमोदित कर सकते हैं या उसे अपनी राय के साथ महाविद्यालय को वापस भेज सकते हैं। यह कार्यवाही कुलपति द्वारा 90 दिनों के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।"

अनुसूची का संशोधन

7–मूल अधिनियम की अनुसूची में,

(क) क्रम संख्या 2 में, शब्द "तथा सहारनपुर" के स्थान पर शब्द "सहारनपुर, सम्भल तथा शामली" रख दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या 7 में, शब्द "बिजनौर" के स्थान पर शब्द "बिजनौर, हापुड़" रख दिये जायेंगे।

दी०एल० जोशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एस०बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी योजना के अधीन उन्नत किये गये संघटक मेडिकल कालेज के विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्रत्येक का एक नाम निर्देशिती;

(5) संस्था अथवा संघटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में संस्था का निदेशक अथवा, जैसा विषय हो, संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्था के निदेशक या संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे—

(i) उप-कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) दो विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा।

[1][(ग)] किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय, जिसमें स्ववित्तपोषित निजी महाविद्यालय सम्मिलित है (राज्य सरकार द्वारा अवन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न), के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रबन्ध समिति के दो सदस्य, जिनमें से एक शैक्षिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा;

(iii) कुलपति का एक नाम निर्देशिती, जो उच्च शिक्षा का एक विशेषज्ञ होगा:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञ प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं कुलपति अनुमोदित तीन विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(iv) तीन विशेषज्ञ, जिसमें महाविद्यालय का प्राचार्य, एक आचार्य और एक निष्णात शिक्षाविद्, जो आचार्य के रैंक के नीचे का न हो, कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(v) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद्, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि इन वर्गों का कोई भी अभ्यर्थी आवेदक हो तथा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी सम्बन्धित श्रेणी का न हो:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप-खण्ड लागू नहीं होगा।

---

1. खण्ड (ग) उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, सन् 2014 द्वारा प्रतिस्थापित (24.10.2013 से प्रभावी)।

(घ) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर [1][* * *] के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्न अन्तर्विष्ट होंगे–

(i) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

[2][(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य;

(iii) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष, यदि लागू हो तो;

(iv) कुलपति के दो नामनिर्देशिती जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिये:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप-खण्ड लागू नहीं होगा।

(v) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञ की सूची से कुलपति द्वारा पाँच सदस्यों के पैनल में से संस्तुत प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।"

[3][(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकलायाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति उसी प्रकार से होगी जैसे क्रमशः आचार्य, सहयुक्त आचार्य और सहायक आचार्य के लिए होगी, सिवाय यह कि यथास्थिति, पुस्तकालय में सम्बन्धित विशेषज्ञ या कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एक विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति से सहयुक्त होगा।

(5)(क) अध्ययन के प्रत्येक विषय में छः या अधिक विशेषज्ञों के पैनल को कुलपति द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में तत्समानी संकाय अथवा ऐसे शैक्षिक निकायों अथवा उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर शोध संस्थाओं से परामर्श करने के पश्चात् तैयार किया जायेगा जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे। उप-धारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किये जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वह व्यक्ति होगा जिसका नाम उस पैनल पर अंकित हो।

(ख) प्रत्येक संकाय का परिषद अध्ययन के प्रत्येक विषय में सोलह या अधिक विशेषज्ञों की स्थायी पैनल के बनाये रखेगा और उप-धारा (4) के अधीन उप-कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम पैनल पर अंकित है।

(ग) खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पैनल को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

---

1. शब्द "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" को उ०प्र० अधिनियम संख्या 12, सन् 1978 द्वारा निकाल दिया गया।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, सन् 2014 द्वारा उप-खण्ड (2) और 2(3) के स्थान पर प्रतिस्थापित (24.10.2013 से प्रभावी)।
3. खण्ड (ङ) उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, सन् 2014 द्वारा अन्तःस्थापित (24.10.2013 से प्रभावी)।

(12) "संस्थान" का तात्पर्य धारा 44 के अधीन स्थापित संस्थान से है;

(13) "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में, प्रबन्ध समिति या ऐसे अन्य निकाय से है जिसे उस महाविद्यालय के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए भारित किया गया है उसे विश्वविद्यालय द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है:

[1][परन्तु यह कि नगर पालिका परिषद् या नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित ऐसे किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, अभिव्यक्ति "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य उस परिषद् या जैसे विषय हो, महापालिका की शिक्षा समिति से है और अभिव्यक्ति "प्रबन्ध तंत्र के अध्यक्ष" का तात्पर्य उस समिति के अध्यक्ष से है।]

(14) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(15) "प्राचार्य" का तात्पर्य किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध उस महाविद्यालय के प्रधान से है;

(16) "पंजीकृत स्नातक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अथवा इ अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत विश्वविद्यालय स्नातक से है;

(17) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनिय अध्यादेशों एवं विनियमों से है;

[2][(18) "स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम" का तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसके सम्बन्ध में स वित्तीय दायित्वों को किसी सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र अथ विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा];

[3][(19) "अध्यापक" का तात्पर्य अध्याय 11-क को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय में या संस्थान में या विश्वविद्यालय के घटक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में उस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रदान करने या मार्गदर्शन देने या अनुसंधान करने लिए नियोजित व्यक्ति से है और उसमें प्राचार्य अथवा निदेशक सम्मिलित है];

(20) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान विश्वविद्यालय अथवा इस अधिनियम के प्रा होने के पश्चात् धारा 4 के अधीन स्थापित नये विश्वविद्यालय से है;

(21) "श्रमजीवी महाविद्यालय" का तात्पर्य धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार इस रूप मान्यता प्राप्त सम्बन्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालयों का निगमन—(1) कुलपति, उप-कुलपति और कार्यपरिषद्, सभी और परिषद के तत्समय किसी भी विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण करने वाले सदस्य, विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12, सन् 1978 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 1, सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित (11.7.2003 से प्रभावी)।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 1, सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित (11.7.2003 से प्रभावी)।